# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

**अपील संख्या 12/131/2025**
**कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2025/336**
**प्रवेश तिथि :: 08.09.2025**

**अपीलार्थी**
श्री रमाकान्त मिश्रा,
निवासी–एल–346, अम्बेडकर नगर, अलवर
(राज.)–301001

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर (राज.)

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## निर्णय

**दिनांक: 06.10.2025**

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक: 29.07.2025 प्रस्तुत कर ''बुधविहार आवासीय कॉलोनी स्थित क्वार्टर नं. सी–569 के आवंटन से संबंधित समस्त परिपत्र, अधिकार परिपत्र एवं रजिस्ट्रेशन'' संबंधी समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति (02बिन्दुओं पर सूचना) चाही गई थी।
4. सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विनिश्चय, पत्र सं. 6592 दिनांक: 01.08.2025 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील, इस न्यायालय में संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. UIT/RTI/2025/CAMP/72 दिनांक: 06.10.2025 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. अपीलार्थी के सूचना आवेदन, प्रस्तुत अपील अन्तर्गत उठाये गये तथ्य एवं प्रत्यर्थी के जवाब पर मनन किया गया।
8. अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधी अभिलेख अपीलार्थी स्वयं से संबंधित ना होकर अन्य पक्षकार से संबंधित है जो कि वाणिज्यिक विश्वास, गोपनीयता से संबंधित सूचना है जिसमें कोई ऐसा वृहत्तर जनहित प्रदर्शित नहीं है जिसके आधार पर संदर्भित प्रति जनहित में जारी किया जाना नितान्त आवश्यक हो।
9. अतः संदर्भित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(घ), 8(1)(ञ) एवं धारा 11(3) के आलोक में अदेय है, **अपील अस्वीकार कर खारिज** की जाकर निस्तारित की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांक: 06.10.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
**अपीलीय अधिकारी एवं**
**जिला कलक्टर, अलवर (राज.)**